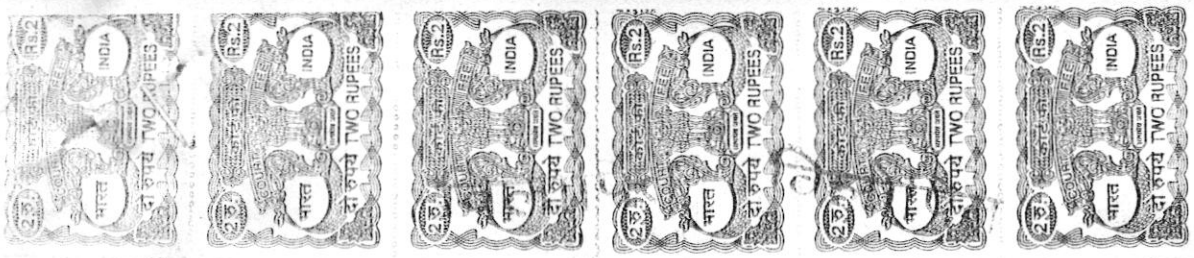

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2017 अपील A-7077-पी-17

1 रूपसिंह

2 महेशसिंह

3 बबलू पुत्रगण श्री गिरवरसिंह

निवासी बंजारो का पुरा (बिडखरी)

परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

....अपीलाण्ट

विरूद्ध

1 जिलापंजीयक/कलेक्टर ऑफ स्टाम्प

जिला भिण्ड म.प्र.

2 उपपंजीयक, गोहद जिला भिण्ड

3 सिरनाम पुत्र मोतीराम

निवासी ग्राम बिरखडी परगना गोहद

जिला भिण्ड म.प्र.

........अनावेदकगण

अपील विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क्रं. 165/2015–16 अपील आदेश दिनांक 21.03.2017 एवं जिला पंजीयक भिण्ड के दिनांक 25.11.2016 प्र.क्रं. 15/बी–105 /10–11/47 क(3) व आरआरसी क्रमांक 147/ए–76/2016–17। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899/1942 के अंतर्गत।

श्रीमान् जी,

अपील इस प्रकार है कि –

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 7077–दो/17 जिला –भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
17.7.17	अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 165/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.3.17 के विरूद्व इस न्यायालय में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतग्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी को मांग पत्र न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भिण्ड से इस बावत सूचना दी गई थी कि अनुलग्न विवरण में दिये गये दौरे के अनुसार भू–राजस्व के बकाया के कारण 45347/– रूपये अपासे लेना है। उसमें यह भी लेख था कि आपने सूचना पत्र की प्राप्ती के 7 दिवस के भीतर आपने रकम नहीं चुकाई तो विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भिण्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.11.16 से रूपये 45347/– वसूल किये जाने के आदेश एक तरफा में पारित कर दिया जिससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 21.3.17 को अपील निरस्त की गई इसी से परिवेदित	

होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि उक्त आदेश के संबंध में जो बकाया वसूली के संबंध में निष्पादन दिनांक 19.3.09 लगभग 8 वर्ष अवधि व्यतीत होने से व महालेखाकार ग्वालियर की अंकेक्षण टीप वर्ष 2008–10 की कण्डिका 2 को आधार मानकर आवेदक को वसूली का नोटिस दिये जाने में विधि प्रावधानों का उल्लंघन किया है जिसके विरूद्व अपर आयुक्त चंबल संभाग के यहां अपील प्रस्तुत की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय चंबल संभाग मुरैना ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि उक्त अपील में धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है विलंब मांफी का भी आवेदन किया है जो निरस्त किया गया है। आगे अपने तर्क में कहा गया है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का विधिवत मौका न देकर आदेश पारित किये जाने में बगैर कानूनी प्रकिया अपनाये वसूली का आदेश दिये जाने में विधि की भारी भूल की है जिस कारण उक्त आलोच्य आदेश कतई स्तर रखे जाने योग्य नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47क (3) में स्थापित प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन न कर तानाशाही रूप से आदेश पारित किये जाने में विधि की भारी भूल की है जिस कारण उक्त आलोच्य आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

अंत में निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री त्यागी उपस्थित उनके द्वारा कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित हैं उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्ता गण के तर्क सुने। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उन्ही तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी अपील मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी रामरूप को अनेक बार सूचना पत्र जारी किया गया उसके उपरांत भी प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनके द्वारा पक्ष समर्थन का प्रयास किया। अपीलार्थी को प्रकरण में रूचि नहीं थी इसलिये उनके द्वारा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर मिलते हुये भी उनके द्वारा उसका लाभ नहीं लिया गया। अपर आयुक्त द्वारा धारा–5 का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अत अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 165/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.3.17 उचित होने से स्थिर रखा

जाता है । परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य